

कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, बैठन

CIN-U41000MP2012SGC028798

(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

gmmpjnmsingrauli@gmail.com)

क्रमांक 762 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2024

दिनांक 04/05/2024

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली (म.प्र.)

विषय:- बैठन-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित करने बावत्।

संदर्भ:- 1. प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/153484/2022
2. तकनीकी अधिकारी पत्र क्र0/06 एमपीबी/051/2023-बीएचओ/1/70574 दिनांक 26-04-2024.

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), भोपाल का पत्र क्र0 2276 दिनांक 27-04-2024.

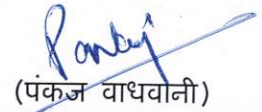
--000--

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र.2 के माध्यम से तकनीकी अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा तालिका में वर्णित जानकारी चाही गई थी जो निम्नानुसार है:-

S.No.	Query Raised	Reply
1	After DSS analysis of the area proposed for diversion this is observed that the area marked as non forest in the proposed KML is within the boundaries of forest as per the uploaded WP details. hence, a certificate from the concerned DFO shall be submitted to this effect that the area proposed for diversion is as per the prevailing working plan boundaries in the Division.	Comments to be given by Forest Department
2	The consolidated KML for CA area of 67.30 ha has been uploaded in online portal. Therefore, delineated boundaries of area proposed for the subjected proposal (3.445 ha) shall mark on the KML and uploaded accordingly.	KML file with dellineated boundary for CA Area- 3.445 ha. marked and uploaded.
3	List of proposals along with their current status whose part of the forest area is being applied in different proposals.	List of proposals Attached.
4	Revenue Area in Village-Pipri, Khasra 245 is marked to dump the excess muck. Therefore the concerned DFO shall be verified that this area does not attract provision of FCA, 1980.	Comments to be given by Forest Department
5	It appears that some part or forest area is not demartated as forest, DFO needs to revisit the site and Revised KML file needs to be uploaded. Also,KML file needs to depict all the components like OHT etc.	Seperate KML file depicting all components uploaded in Additional details section.

जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि.क्रिया ई. सिंगरौली

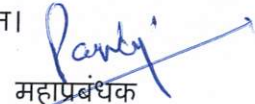
दिनांक 04/05/2024

पृ. क्रमांक 762 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2024

प्रतिलिप:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. ओ.एस.डी., म.प्र. जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि.क्रिया ई. सिंगरौली



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL



Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीवी 051/2023-बीएचओ/ I/70574
प्रति,

दिनांक : 26/04/2024.

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल,

(मध्यप्रदेश)।

विषय: सिंगरौली जिले में बैटन-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 3.4296 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 3.445 हे.) आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने वादत (Online Proposal No. FP/MP/WATER/153484/2022)

संदर्भ: 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीवी 051/2023-बीएचओ/ दिनांक 21/09/2023.
2. नोडल अधिकारी, म.प्र. का पत्र क्रमांक एफ-5/1293/2023/10-11/1864 दिनांक 31/03/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित जानकारी प्रेषित/अपलोड करने का कष्ट करें :-

1. After DSS analysis of the area proposed for diversion this is observed that the area marked as non forest in the proposed KML is within the boundaries of forest as per the uploaded WP details. Hence, a certificate from the concerned DFO shall be submitted to this effect that the area proposed for diversion is as per the prevailing working plan boundaries in the Division.
2. The consolidated KML for CA area of 67.30 ha has been uploaded in online portal. Therefore, delineated boundaries of area proposed for the subjected proposal (3.445 ha) shall mark on the KML and uploaded accordingly.
3. List of proposals along with their current status whose part of the forest area is being applied in different proposals.
4. The Revenue Area in Village-Pipri, Khasra 245 is marked to dump the excess muck. Therefore the concerned DFO shall be verified that this area does not attract provision of FCA, 1980.
5. It appears that some part of forest area is not demarcated as forest. DFO needs to revisit the site and revised KML file needs to be uploaded. Also, KML file needs to depict all the components like OHT etc.

उपरोक्त जानकारी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

Signed by Yogesh Gairola

Date: 26-04-2024 11:49:34

तकनीकी अधिकारी (यानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल।

Shri Anuj Bana
[Signature]

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1293/2023/10-11/2276

भोपाल, दिनांक 27/04/2024

प्रति,

महाप्रबंधक,

जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई,

सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

विषय:- सिंगरौली जिले में बैदन-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 3.4296 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 3.445 हे.) मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/153484/2022)

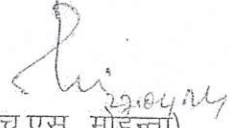
संदर्भ:- भारत सरकार का पत्र क्रमांक/6-MPB 051/2023-BHO/1/70574 दिनांक 26.04.2024

-----0-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार आपसे संबंधित बिन्दु की जानकारी तैयार कर वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

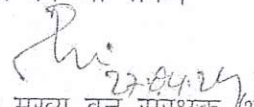
पृ. क्रमांक/एफ-5/1293/2023/10-11/2277

भोपाल, दिनांक 27/04/2024

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
- 2- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपसे एवं आवेदक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



Shri Anuj
for n.a.
Parbh

List of Proposals			
S.No.	Proposal No.	Current Status	Remarks
1	FP/MP/WATER/151049/2022	Permission recieved	
2	FP/MP/WATER/153290/2022	Permission recieved	
3	FP/MP/WATER/151013/2022	Pending at RO for Stage-II	
4	FP/MP/WATER/151344/2022	Pending at RO	
5	FP/MP/WATER/151212/2022	Pending at DFO/DCF	